

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2014—फाल्गुन 28, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2014

फा. क्र. 17(ई) 29-2000-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No. 17(E) 29-2000-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994, (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Dinesh Kumar Naik, District and Sessions Judge, Morena as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, प्रमुख सचिव.